भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3094
06.12.2019 को उत्तर के लिए
बाघों की संख्या

3094. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भारत और पड़ोसी देशों में बाघों की स्रोत-आबादी के बीच एक गलियारा विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से बाघों को लाकर बंगाल बक्सा टाइगर रिज़र्व को फिर से खोलने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में बाघों के संरक्षण के लिए अन्य क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) : जी हां। सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों से भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2006 से भारत में किए गए चार देश-व्यापी/अखिल भारतीय बाघ अनुमान के परिणामों से बिल्कुल स्पष्ट है और उन अनुमानों को **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है। वर्तमान में संचालित केंद्र-प्रायोजित बाघ परियोजना की योजना के तहत, बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु किए गए कार्यकलाप **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 32 प्रमुख बाघ गलियारों के मानचित्र पहले ही तैयार कर लिए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के तकनीकी सहयोग से नेपाल और भूटान के ज़रिए गलियारों का संपर्क शामिल है। इन गलियारों की सूची **अनुबंध-III** में दी गई है। साथ ही इन गलियारों को निकटवर्ती क्षेत्र योजनाओं में चित्रित किया गया है जो बाघ रिज़र्वों की बाघ संरक्षण योजनाओं के अभिन्न अंग हैं।

(घ) और (ड.) : भारत सरकार द्वारा बक्सा बाघ रिज़र्व में बाघों को लाने की परियोजना की सिफारिश की गई है जिसके लिए वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा 1849.50 लाख रूपए की कुल लागत से एक पंचवर्षीय योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।

(च) : बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

'बाघों की संख्या' के संबंध में दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3094 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2006, 2010, 2014 और 2018 के लिए
देश में बाघों के परिदृश्यों से संबंधित बाघों की संख्या के आकलन का विवरण

राज्य	बाघों की संख्या			
	2006	2010	2014	2018
शिवालिक-गांगेय मैदानी लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स				
उत्तराखंड	178	227	340	442
उत्तर प्रदेश	109	118	117	173

बिहार	10	8	28	31
शिवालिक गांगेय	**297**	**353**	**485**	**646**
मध्य भारतीय लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स और पूर्वी घाट लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स				
आंध्र प्रदेश	95	72	68	48
तेलंगाना	–	–	–	26
छत्तीसगढ़	26	26	46	19
मध्य प्रदेश	300	257	308	526
महाराष्ट्र	103	169	190	312
ओडिशा	45	32	28	28
राजस्थान	32	36	45	69
झारखंड	–	10	3 *	5
मध्य भारत	**601**	**601**	**688**	**1033**
पश्चिमी घाट लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स				
कर्नाटक	290	300	406	524
केरल	46	71	136	190
तमिलनाडु	76	163	229	264
गोवा	–	–	5	3
पश्चिमी घाट	**412**	**534**	**776**	**981**
पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान				
असम	70	143	167	190
अरुणाचल प्रदेश	14	–	28 **	29
मिजोरम	6	5	3 *	0
नागालैंड	–	–	–	0
उत्तर पश्चिम बंगाल	10	–	3 *	0
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र	**100**	**148**	**201**	**219**
सुंदरबन	–	70	76	88
कुल	**1411**	**1706**	**2226**	**2967**

* स्कैट डीएनए से

** कैमरा ट्रैप डेटा और स्कैट डीएनए से

****

अनुबंध-II

'बाघों की संख्या' के संबंध में दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3094 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्तमान में संचालित बाघ परियोजना की केंद्र-प्रायोजित योजना के तहत बाघों के संरक्षण हेतु अनेक कार्यकलाप शुरु किए गए हैं:-

1. सुरक्षा बढ़ाना : (अवैध शिकार-रोधी दस्ते/बाघ सुरक्षा बल की तैनाती)

बाघ रिज़र्वों में शिकाररोधी आपरेशन, स्थल विशिष्ट होते हैं। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलाप बाघ रिजर्वों में सुरक्षा कार्यनीति के भाग में शामिल हैं, नामश:-

(क) विशिष्ट बाघ सुरक्षा बल का सृजन, उसे सशस्त्र बनाना और उनकी तैनाती करना।

(ख) वन्यजीव अपराधों की रोकथाम में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

(ग) क्षेत्रीय गश्त लगाने के लिए एम-स्ट्राइप्स विधि का प्रयोग करना।

(घ) शिकार रोधी दस्तों की तैनाती करना।

(ङ) मौजूदा गश्त शिविरों/चौकियों को स्थापित करना और उनका रखरखाव करना और गश्त लगाने के लिए शिविर श्रमिकों की तैनाती करना।

(च) दस्तों के लिए गश्त लगाने के कैलेंडर को निर्धारित करने के अलावा अपराधियों को पकड़ने के लिए वायरलैस हैंडसेट और उपकरण सामग्री सहित फील्ड स्टाफ, श्रमिकों और पुलिस/एसएएफ/भूतपूर्व सेना कार्मिकों को शामिल करते हुए दस्तों (बाघ सुरक्षा बल) को गठित करके वाहन से गश्त लगाना।

(छ) वायरलैस नेटवर्क की स्थापना और उनका अनुरक्षण।

(ज) रेलवे स्टेशनों, लोकल ट्रेनों, बस-स्टॉपों, बसों, कैचर्स और कैफेटेरिया में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से औचक धावा बोलना।

(झ) भू-भाग और सुरक्षित क्षेत्रों की अभिगम्यता पर विचार करते हुए मानसून के दौरान 'मानसून अभियान'' के रूप में विशेष स्थल विशिष्ट सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।

(ञ) भूतपूर्व सैनिकों/होम गार्डो की तैनाती करना।

(ट) गश्त लगाने के लिए स्थानीय कार्य बल की तैनाती, पानी के गड्ढों की निगरानी करना, अवरोधकों (बैरियर) पर व्यक्तियों की तैनाती।

(ठ) शस्त्रों और आयुध की खरीद करना।

(ड) हाथी दस्तों की खरीद करना/उनका रखरखाव करना।

(ढ) सूचना देने वालों को पुरस्कार प्रदान करना।

(ण) न्यायालय के मामलों में बचाव पक्ष के लिए विधिक सहायता मुहैया कराना।

(त) वाहनों, नौकाओं की खरीद करना।

(थ) फील्ड गियर, नाईट विजन डिवाईस की खरीद करना।

2. **एक तय समय-सीमा के भीतर वन्यजीवों के लिए अलंघनीय स्थान और बाघ रिजर्वों में कोर अथवा महत्वपूर्ण बाघ-पर्यावासों से ग्रामवासियों के पुनर्स्थापन और अधिकारों की व्यवस्थापना हेतु निर्णय लेना**

2.1 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के साथ-साथ, अनुसूचित जनजातिय और अन्य पारम्परिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अपेक्षित करना है कि बाघ रिजर्वो अथवा सुरक्षित क्षेत्रों के कोर और महत्वपूर्ण बाघ अथवा वन्यजीव वास-स्थलों के भीतर वन क्षेत्रों में लोगों (अनुसूचित जनजातिय और अन्य पारम्परिक वन वासियों) के मान्यता प्राप्त अधिकारों को बाघ अथवा वन्य पशुओं को अलंघनीय स्थान प्रदान करने के लिए संशोधित और पुन:व्यवस्थापित किया जा सकता हे। इससे (वर्तमान में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत प्रदान किया गया पुन:अवस्थापन पैकेज के अतिरिक्त अधिकारों का व्यवस्थापन) प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (धारा 24) के अध्याय IV धारा 18 (अभयारण्य की स्थापना के लिए) अथवा धारा 35 (राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए) के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई भूमि में अथवा उसके संबंध में अधिकारों को अर्जित करने का प्रावधान करता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 24 की उप-धारा (2), कलेक्टर को ऐसी भूमि अथवा अधिकारों का अर्जन करने हेतु प्राधिकार देता है। अत:लोगों की अचल सम्पत्ति हेतु प्रतिपूर्ति का भुगतान, उनके अधिकारों को रूपांतरित करने अथवा व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का भाग है, जो एक सांविधिक आवश्यकता है।

2.2 बाघों की पारिस्थितिकी के संबंध में उपलब्ध अनुसंधान डाटा का अध्ययन और विश्लेषण दर्शाता है कि प्रजनन अवस्था में बाघिनों की न्यूनतम संख्या जो (कोर क्षेत्र में और उसके इर्द गिर्द) 80-100 बाघों की व्यवहार्य संख्या को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हेतु 800-1200 वर्ग किमी का अनातिक्रांत क्षेत्र आवश्यक है। बाघ एक ''महत्वपूर्ण प्रजाति'' के रूप में होने के कारण, उनके लिए अन्य वन्य पशुओं (सह-परभक्षियों, शिकार-पशु) की व्यवहार्य संख्या और वन को भी सुनिश्चित करके समूचे क्षेत्र और पर्यावास की पारिस्थितिकीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित किया जाएगा। अत: बाघ और वन्यपशुओं की स्रोत संख्या की उत्तरजीविता के लिए बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्रों को अलंघनीय बनाए रखना एक पारिस्थितिकीय अनिवार्यता बन जाता है।

2.3 प्रस्तावित पैकेज में निम्नलिखित दो विकल्प हैं; नामत:

(क) विकल्प I - परिवार द्वारा इस विकल्प को चुनने के मामले में, वन विभाग द्वारा कोई पुनर्वास और पुन:अवस्थापना प्रक्रिया को शामिल किए बिना परिवार को समस्त पैकेज धनराशि (10 लाख रूपए प्रति परिवार) का भुगतान।

(ख) विकल्प II - वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र और बाघ रिजर्व से ग्रामों की पुन: अवस्थापना और पुनर्वास करना।

3. बाघ रिजर्वों के भीतर अवसंरचना का सुदृढीकरण।

निम्नलिखित कार्यकलाप अन्य बातों के साथ-साथ बाघ रिजर्वों (नए बाघ रिजर्वो को सहायता देने सहित) के अवसंरचना को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया का भाग बनेंगे, नामश:-

(क) सिविल कार्य (स्टाफ क्वार्टर, फैमिली हॉस्टल, कार्यालय में सुधार करना, गश्ती शिविर, हाउस कीपिंग भवन, म्यूजियम, पुलिया)
(ख) सड़क-नेटवर्क का अनुरक्षण, निर्माण और उनमें सुधार करना
(ग) वायरलेस टावर का सृजन और उनका अनुरक्षण
(घ) फायरवॉच टॉवर का सृजन और उनका अनुरक्षण

(ङ) पुलो, बांधों एनीकट्स का सृजन और उनका अनुरक्षण
(च) फायरलाईन्स और फायरब्रेक्स का सृजन और उनका अनुरक्षण
(छ) मिट्टी के बने हुए तालाबों का सृजन और उनका अनुरक्षण
(ज) वाहनों (जिप्सी, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर आदि) की खरीद और उनका रखरखाव
(झ) पर्यावास में सुधार करने संबंधी कार्य
(ञ) हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जियोग्राफिकल इनफॉरमेशन सिस्टम (जीआईएस) की खरीद
(ट) कम्पास, रेंज फाइनडर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) कैमरा ट्रैप्स की खरीद करना
(ठ) प्रबंधन योजना के लिए सेटेलाईट इमेजरीज की खरीद करना
(ड) प्रबंधन योजना के लिए मैप डिजीटाईजेशन सुविधा

4. **पर्यावास में सुधार करना और जल विकास**

इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, खरपतवार का उन्मूलन, घासभूमि में अपने आप उग जाने वाले पौधों की वृद्धि को हटाना, घास को हरा-भरा बनाने के लिए सुधार करना, जल को रोकने वाली संरचनाओं का निर्माण और अनुरक्षण कार्य शामिल हो सकते हैं।इन पहलों से वन्यपशुओं के लिए पर्यावासों में चारा और नए पौधों के मूल्य में वृद्धि होगी।

5. मानव-पशु संघर्ष (वन्य पशुओं के कारण हुई मौतों, मांसभक्षियों द्वारा मवेशियों को मारे जाने, वन्य खुरदार पशुओं द्वारा फसल के रौंदे जाने के मामलों में एक समान और समय से प्रतिपूर्ति का भुगतान करना) (फसलों को पहुंची क्षति के लिए प्रतिपूर्ति एक नया घटक है) का समाधान करना:

इसमें निम्नलिखित शामिल है:

(क) मवेशियों की चोरी हो जाने पर, वन्य पशुओं के कारण मानव मृत्यु और फसल के रौंदे जाने के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान
(ख) फसल सुरक्षा हेतु संरचनाओं का सृजन करना
(ग) समस्या उत्पन्न करने वाले पशुओं को पकड़ने के लिए फंदों, पिंजरों/जालों की खरीद करना और उन्हें स्थापित करना
(घ) प्रशान्तीकरण उपकरणों, राहत प्रदान करने के लिए वाहनों और औषधि की खरीद करना

6. बफर या फ्रिंज क्षेत्रों में सह-अस्तित्व कार्यक्रम

बाघ रिजर्व के इर्द-गिर्द क्षेत्रों का गलियारों की दृष्टि से महत्व है और उस क्षेत्र को संसाधनों के अति उपयोग और अतार्किक भूमि उपयोग के कारण पारिस्थितिकीय सिंक बनने से बचाने के लिए उनकी पारिस्थितिकीय वहनीयता महत्वपूर्ण है। इस कारण से बाघ रिजर्व के इर्द-गिर्द ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करने के लिए बफर जोन का अंकित करना आवश्यक हो जाता है ताकि यह निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा कर सके, नामश:

(क) स्थानीय हितधारकों की वनों पर निर्भरता में कमी लाने के लिए उन्हें पारिस्थितिकीय रूप से व्यवहार्य आजीविका विकल्प उपलब्ध कराना।
(ख) कोर क्षेत्रों से बाहर जा रहे वन्य पशुओं को वास-स्थल का अनुपूरक पर्यावास प्रदान करने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए पुन:प्रवर्तित किए गए निदेशों के माध्यम से वन क्षेत्र को सुरक्षित करना।

7. बाघ रिजर्वों के इर्द-गिर्द रह रही पारम्परिक शिकार करने वाली जनजातियों का पुनर्वास करना

गैर अधिसूचित जनजतियों, पारम्परिक शिकार में लगी जनजातियों और बाघ रिजर्वो और बाघ गलियारों के इर्द-गिर्द रह रही जनजातियों के लिए पुनर्वास और विकास कार्यक्रम शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। निम्नलिखित गैर अधिसूचित जनजातियां और समुदाय वन्य पशुओं के पारम्परिक शिकार करने में शामिल रहते हैं; बहेलिया, अम्बलगार, बडक,मोंगिया, बावरिया, मोंगलिया, परधी, बायास, कैकाड, करवल नट, निरशिकारी, पिचारी, वलयारास, येनाड़ी, चकमा, मिलो, ब्रू, सोलंग और नियिशी। हालांकि यह सूची संपूर्ण नहीं है, तथापि, योजना अवधि के दौरान कल्याण कार्यक्रम (एनटीसीए पहलों के भाग के रूप में) के तहत ऐसे लगभग 5000 परिवारों को शामिल किया जाना अपेक्षित है। एक स्थल विशिष्ट, आजीविका विकल्पों सहित विचार-विमर्श पद्धति से पुनर्वास और कल्याण पैकेज तैयार किया जाना चाहिए जिसमें शामिल है: वन्यजीव को सुरक्षित करने के लिए पैदल चलकर गश्त लगाने के लिए ऐसे लोगों को तैनात करने के लिए उन्हें मजदूरी देना, सिंचाई सहित कृषि-योग्य भूमि मूलभूत स्वास्थ्य परिचर्या, आवासन और संबंधित सामुदायिक कल्याण इनपुटस और मूलभूत शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना। विगत में मुक्ति सेना द्वारा गैर अधिसूचित जनजातियों को व्यवस्थित करने के लिए अर्जित अनुभव पर इस कार्यक्रम को संरचित करते समय भावपूर्ण रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है।

8. अनुसंधान और क्षेत्र उपकरण

बाघ कार्य-दल द्वारा अनुमोदित की गई नई कार्य प्रणाली का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय बाघ आकलन के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय इकाइयों के लिए स्थायी निगरानी प्रोटोकॉल स्थापित किया है। बाघों की स्रोत संख्या की निगरानी करने के लिए चरण-IV, बाघ रिजर्व स्तर शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र उन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और स्टाफ को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) कैमरा ट्रैप्स, नाईट विजन, रेंज फाईडंर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित संबंधित उपकरण प्रदान करने के लिए सहायता दी जाएगी।

9. स्टाफ विकास और क्षमता निर्माण

9.1 इसमें निम्नलिखित शामिल होगा:

(क) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
(ख) परियोजना भत्ता और विशेष इन्सेन्टिव प्रदान करना
(ग) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) शिकार रोधी प्रचालनों के उपयोग में विशिष्ट प्रशिक्षण
(घ) विधि शास्त्र और वन्यजीव फॉरेन्सिक में विशिष्ट प्रशिक्षण
(ङ) अन्य रिजर्वों में गुड प्रैक्टिेज के मूल्यांकन हेतु अध्ययन दौरे
(च) प्रसार-कार्यशालाएं
(छ) पार्क की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण
(ज) प्रबंधन आयोजना में विशिष्ट प्रशिक्षण

9.2 उपरोक्त इनपुटस, फील्ड स्टाफ के कौशल अभिवृद्धि हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अपराध का पता लगाने और संबंधित कौशल में विशिष्ट प्रशिक्षण के अभाव में शिकार की गई घटनाएं घट जाती है।

10. बाघ बहुल वनों में वन्यजीव सरोकारों को मुख्य धारा में लाना और वास-स्थलों का विखंडन रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करके जीर्णोद्धार रणनीति के माध्यम से कॉरीडोर संरक्षण को प्रोत्साहित करना।

इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) मानव-पशु संघर्ष का समाधान करना
(ख) समस्या उत्पन्न करने वाले और अन्यत्र भटक कर पहुंच गए पशुओं को पकड़ना
(ग) वन्य पशुओं की निगरानी करना
(घ) शिकार रोधी अभियान
(ङ) पर्यावास में सुधार करने के उपाय

11. वन्यजीव संरक्षण के हित में सुरक्षोपाय और रिट्रोफिटिंग उपाय।

कई बाघ रिजर्व, अत्यधिक उपयोग की गई सड़कों, रेलवे ट्रेक आदि के कारण प्रभावित हैं। कई रिर्जर्वों से गुजर रही हाई टेंशन की विद्युत लाइनें, शिकारियों द्वारा करंट लगने के कारण वन्य पशुओं की मौत का कारण बनती हैं। वन्य पशुओं के हित में, कई सुरक्षोपाय के साथ-साथ रिट्रोफिटिंग उपाय आवश्यक हो सकते हैं, जिन्हें स्थल-विशिष्ट आधार पर समर्थन दिया जाएगा।

12. मूलभूत अवसंरचना प्रदान करना : परामर्शदात्री विशेषज्ञ समूहों द्वारा क्षेत्रीय दौरों, अखिल भारतीय बाघ आकलन और बाघों की सतत निगरानी (चरण-IV) हेतु व्यय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अनुदान के माध्यम से बाघ रिजर्वों के बाहर बाघों की निगरानी करने के लिए सहायता, बाघ की कैमरा ट्रैप फोटो डाटाबेस की राष्ट्रीय रिपोजिटरी तैयार करना, एक निगरानी प्रयोगशाला स्थापित करने के अलावा केन्द्र और क्षेत्रीय कार्यालयों में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण।

13. बाघ रिजर्वो की स्वतंत्र निगरानी और मूल्यांकन

वैश्विक रूप से स्वीकृत संकेतकों का उपयोग करते हुए स्वतंत्र निगरानी का दूसरा दौर पूरा किया गया है। इसे और अधिक संशोधित किया जाएगा और जारी रखा जाएगा।

14. नए बाघ रिजर्वो की स्थापना और विकास

''बाघ परियोजना'' की समग्र पारिप्रणाली एप्रोच है। यद्यपि, महत्वपूर्ण प्रजाति, 'बाघ' पर फोकस किया गया है तथापि, यह परियोजना खाद्य श्रृंखला में अन्य ट्राफिक स्तरों को प्रोत्साहित करके पारिप्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करती है। यह बाघ, जो पारिस्थितिकीय खाद्य श्रृंखला के ''शीर्ष'' पर है की पारिस्थितिकीय व्यवहार्य संख्या को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। विकासशील देशों में वनों पर सामुदायिक दबाव हमेशा से बढ़ता रहा है और भारत अपवाद नहीं है। इससे परिणामस्वरूप, बाघ वास स्थल अशक्त और कई स्थानों पर कमजोर हो चुके हैं और संकेन्द्रित संरक्षण एप्रोच अपनाने की आवश्यकता हो रही है। हमारे सुरक्षित क्षेत्र और बाघ रिजर्व, अन्य उपयोग पैटर्नो के महासागर में ''द्वीपसमूह'' के सदृश्य है। द्वीप समूह बायोजियोग्राफी से आनुभविक साक्ष्य दर्शाते हैं कि 'पारिस्थितिकीय इन्स्युलेराईजेशन ' के कारण 'पृथक' रिजर्व अपनी प्रजातियों को तेजी से खो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विखंडन के अलावा, अवक्रमित वन आवरण, शिकार पशु-परभक्षी अनुपात सुरक्षा के वांछित स्तर को सुनिश्चित करने के प्रभावी उपायों का अभाव और वन संसाधानों पर सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे हितधारकों की निर्भरता को कम करने के लिए पारि-विकास पहलों की कमी होने से यह स्थिति और बिगड़ गई है। चूंकि 'बाघ परियोजना उपरोक्त स्थिति का समाधान करने में दीर्घमासी उपाय सिद्ध होगा, बाघ परियोजना की विषय संचालन समिति ने 23 जनवरी, 2003 को हुई अपनी बैठक में नए बाघ रिजर्व क्षेत्रों को शामिल किए जाने की सिफारिश की है ताकि दसवीं योजना अवधि के दौरान, 'बाघ परियोजना', के कुल क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्र 37761 वर्ग किमी से 50,000 वर्ग किमी तक वृद्धि की जा सके।

15. बाघ परियोजना के स्टाफ को परियोजना भत्तों का प्रावधान

बाघ रिजर्वो के स्टाफ को परियोजना भत्ता देने के लिए बाघ वाले राज्यों को सहायता (100 प्रतिशत) दी जाएगी।

16. स्टाफ कल्याण कार्यकलाप

समीपवर्ती कस्बों अथवा गांवों में फ्रंटलाईन स्टाफ के बच्चों के लिए आवासीय आवास-स्थान, केरोसीन, औषधीय, फील्ड किट, मच्छरदानी, टॉर्च और ऐसी ही अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सहायता दी जाएगी।

17. बाघ रिजर्वो में पर्यटन अथवा पारि-पर्यटन को बढ़ावा देना।

बाघ रिजर्व के संदर्भ में 'पर्यटन' पर ''पारिपर्यटन'' के रूप में विचार किया गया है, जिसे पारिस्थितिकीय रूप से वहनीय प्रकृति-पर्यटन बनाने की आवश्यकता है। यह, पर्यटन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रहा है। यह, बाघ रिजर्वो के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे स्थानीय व्यक्तियों, मेजबान समुदायों के जीवन मानकों में सुधार करने के लिए वहनीय, साम्यक, सामुदायिक आधारित प्रयास के रूप में ''सार्वजनिक पर्यटन'' से भिन्न है। पारि-पर्यटन को बफर क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ वहनीय क्षमता के अनुसार विनियम की शर्त के अध्यधीन बाघ संरक्षण योजना के बाघ रिजर्व पर्यटन योजना के अनुसार मेजबान समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए 'बाघ परियोजना' योजना के तहत प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि पर्यटन, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के क्षेत्रों में हो रहा है, जिन्हें अब कोर अथवा महत्वपूर्ण बाघ वास-स्थलों, के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में स्थल विशिष्ट वहनीय क्षमता की शर्त के अध्यधीन विनियमित कम प्रभाव का पर्यटन (निरीक्षण) अनुमत किया जाएगा। तथापि, ऐसे कोर और महत्वपूर्ण बाघ वास-स्थलों में कोई नई पर्यटन संबंधी अवसंचना अनुमत नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बफर वन क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों में रह रहे स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से वन्यजीव वासस्थलों के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इससे कोर अथवा महत्वपूर्ण बाघ वास स्थलों पर लोगों की संसाधन निर्भरता और मानव-बाघ इंटर फेस संघर्ष में कमी करते हुए ऐसे क्षेत्रों में पारिपर्यटन कार्यकलापों से स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के अलावा बाघों की संख्या के लिए इसके जीवनचक्र की गतिशीलता के लिए वास स्थल को बढ़ाया जाएगा। हितधारकों के लिए अवसरों में, पर्यटकों के लिए कम लागत की आवास व्यवस्था का प्रबंधन, गाईड सेवाएं प्रदान करना, सेल आउटलेट प्रदान करना, प्रकृति भ्रमण प्रबंधन करना, सांस्कृतिक नृत्य और अनुरूप कार्यकलापों को आयोजित करना शामिल है।

****

अनुबंध-III

'बाघों के संरक्षण' के संबंध में दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3094 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वृहत/भूदृश्य स्तर के बाघ गलियारों की सूची

क्रम सं.	भूदृश्य	गलियारा	राज्य / देश
1.	शिवालिक हिल्स और गंगा के मैदानी क्षेत्र	(i) राजाजी-कॉर्बेट	उत्तराखंड
		(ii) कॉर्बेट-दुधवा	उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल
		(iii) दुधवा-किशनपुर-कतेरनियाघाट	उत्तर प्रदेश, नेपाल
2.	मध्य भारत और पूर्वी घाट	(i) रणथम्भोर-कुनो-माधव	मध्य प्रदेश, राजस्थान
		(ii) बांधवगढ़-अचनकमार	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
		(iii) बांधवगढ़-संजय डुबरी-गुरु घासीदास	मध्य प्रदेश
		(iv) गुरु घासीदास-पलामू-लावालोंग	छत्तीसगढ़ और झारखंड
		(v) कान्हा-अचनकमार	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
		(vi) कान्हा-पेंच	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
		(vii) पेंच-सतपुड़ा-मेलघाट	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
		(viii) कान्हा-नवेगांव नागजीरा-तडोबा-इंद्रावती	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश
		(ix) इंद्रावती-उदंती सीतानदी-सूनाबेडा	छत्तीसगढ़, ओडिशा
		(x) सिमलीपाल-सतकोसिया	ओडिशा
		(xi) नागार्जुनसागर-श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान	आंध्र प्रदेश
3.	पश्चिमी घाट	(i) सह्याद्री-राधानगरी-गोवा	महाराष्ट्र, गोवा
		(ii) डंडेली अंशी-श्रावती घाटी	कर्नाटक
		(iii) कुद्रेमुख-भद्रा	कर्नाटक
		(iv) नागरहोल-पुष्पागिरि-तलकावेरी	कर्नाटक
		(v) नागरहोल-बांदीपुर-मुदुमलाई-वायनाड	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
		(vi) नागरहोल-मुदुमलाई-वायनाड	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
		(vii) परंबिकुलम-एरानिकुलम-इंदिरा गांधी	केरल, तमिलनाडु
		(viii) कालाकाद मुंडनथुराई-पेरियार	केरल, तमिलनाडु
4.	पूर्वोत्तर	(i) काजीरंगा-ईटानगर डब्ल्यूएलएस	असम, अरुणाचल प्रदेश
		(ii) काजीरंगा-कार्बी आंगलोंग	असम
		(iii) काजीरंगा-नामेरी	असम
		(iv) काजीरंगा-ओरंग	असम
		(v) काजीरंगा-पापुम पाने	असम
		(vi) मानस-बक्सा	असम, पश्चिम बंगाल, भूटान
		(vii) पक्के-नामेरी-सोनाई रूपई-मानस	अरुणाचल प्रदेश, असम
		(viii) डिब्रू सेहो-डी'रिंग-मेहांग	असम, अरुणाचल प्रदेश
		(ix) कमलांग-केन-टेल घाटी	अरुणाचल प्रदेश
		(x) बक्सा-जलदापारा	पश्चिम बंगाल

***

अनुबंध-IV

'बाघों के संरक्षण' के संबंध में दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3094 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारत सरकार द्वारा देश में बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से की गई महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं:-

विधिक उपाय

1. वर्ष 2006 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में, धारा 38 IV ख के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और धारा 38 IV ग के अंतर्गत बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए समर्थकारी प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया।
2. बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा बाघ रिजर्व में शिकार संबंधी अपराध या बाघ रिजर्व की सीमा में परिवर्तन, आदि संबंधी अपराध के मामले में दण्ड को बढ़ाया गया है।
3. बाघ परियोजना के लिए और बाघ रिजर्वों में पर्यटन हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38O 1(ग) के अंतर्गत दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

प्रशासनिक उपाय

4 अन्य बातों के साथ-साथ, बाघ रिज़र्व प्रबंधन के क्षेत्र में आदर्श मानदण्डों का निर्धारण सुनिश्चित करते हुए, रिज़र्व विशिष्ट बाघ संरक्षण योजना तैयार करके, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करके, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करके और बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना करके बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु 4 सितंबर, 2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) गठित किया गया है।

5. वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 6 जून, 2007 से बहुविषयक बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है।
6. संचार तथा बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों को मिलाकर गठित कार्यबल की तैनाती के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों या होमगार्डों को शामिल करके गठित अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती हेतु बाघ रिज़र्व वाले राज्यों के प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके मानसून के दौरान गश्त के लिए बनाई जाने वाली विशेष कार्यनीति सहित अवैध शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण।
7. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा नये बाघ रिजर्वों के सृजन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और ये रिजर्व स्थल हैं : सुनाबेदा (ओडिशा) और गुरू घासीदास (छत्तीसगढ़)। राज्य सरकारों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है : (i) महादेई वन्यजीव अभयारण्य (गोवा) (ii) श्रीविलीपुथुर ग्रिज्लड जाईन्ट स्क्विरल/मेगामलई वन्यजीव अभयारण्य/वरुशानाडु घाटी (तमिलनाडु), (iii) दिबंग वन्यजीव अभयारण्य (अरूणाचल प्रदेश), (iv) कावेरी-एमएम हिल्स वन्यजीव अभयारण्य (कर्नाटक) और (v) नन्धौर वन्यजीव अभयारण्य (उत्तराखंड)।
8. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड), ओरंग राष्ट्रीय उद्यान (असम) और कामलांग वन्यजीव अभयारण्य (अरूणाचल प्रदेश) को 48वां, 49वां और 50वां बाघ रिजर्व घोषित/अधिसूचित किया गया है।
9. बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें वर्तमान गतिविधियों के अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ, कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्स्थापना या पुनर्वास पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता (1 लाख रू. प्रति परिवार से 10 लाख रू. प्रति परिवार) देना, बाघ रिजर्वों के बाहर के वनों में पारम्परिक शिकार, आजीविका को मुख्य धारा में लाना और वन्यजीव सरोकारों में शामिल समुदायों की बहाली या पुन:स्थापना और पर्यावास विखंडन को रोकने के लिए बहाली कार्यनीति के जरिए कॉरीडोर संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल हैं।
10. ब्राघों (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्थिति का मूल्यांकन करने सहित) के आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य पद्धति तैयार कर उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन तथा मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण कार्यनीति के लिए मानदंड हैं।
11. वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत, 18 बाघ राज्यों द्वारा देश में सभी 50 बाघ रिजर्वों के कोर/संवेदनशील बाघ पर्यावास (40145.30 वर्ग किलोमीटर) और बफर/परिधीय क्षेत्र (32603.72 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित किए गए हैं।
12. एक वन महानिरीक्षक के अधीन नागपुर, बेंगलुरू और गुवाहाटी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं।

वित्तीय उपाय

13. वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता और अवसंरचना में अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे कि ''बाघ परियोजना'' और ''वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास'' के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

14. भारत का चीन के साथ बाघ संरक्षण संबंधी प्रोटोकॉल होने के अलावा वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पारीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल के साथ भी एक द्विपक्षीय समझौता विद्यमान है।

15. सुंदरवन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्लादेश के साथ सितंबर, 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

16. रूसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु बाघ और तेंदुआ संरक्षण संबंधी एक उप-समूह का गठन किया गया है। भारत-रूस द्विपक्षीय समझौता सितम्बर, 2018 में मास्को में हुआ, जिसमें दिनांक 4.12.2018 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्था और ए.एन सेवरस्तोब पारिस्थितिकी एवं मूल्यांकन संस्थान के बीच त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन पर सहमति हुई और उस पर हस्ताक्षर किए गए।

17. भारत, बाघ संरक्षण से संबंधित अंतराष्ट्रीय मुद्दों के निराकरण हेतु बाघ रेंज देशों के वैश्विक बाघ फोरम का संस्थापक सदस्य है।

18. साइट्स (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 के दौरान आयोजित हुई थी, में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी परिसंघ के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसमें केवल जंगली बाघों के संरक्षण के लिए ऐसी बंधक संख्या को समर्थन स्तर तक सीमित करने के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों की प्रजनन प्रक्रिया के संबंध में पक्षकारों को निदेश दिए गए हैं। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बाघों के अंगों और उनके व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर लगी रोक को जारी रखे जाने के महत्व पर बल दिया गया।

19. दिनांक 23 से 27 जुलाई, 2012 के दौरान जेनेवा में आयोजित वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सीआईटीईएस) की स्थायी समिति की 62वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन सचिवालय ने पक्षकारों को 14.69 निर्णय के पूर्ण कार्यान्वयन हेतु दिनांक 3 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 2012/054 जारी की है और 25 सितंबर, 2012 तक सचिवालय को रिपोर्ट (बाघों आदि की कैप्टिव ब्रीडिंग आप्रेशन्स को रोकने पर हुई प्रगति) प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं।

अगस्त, 2019 में जेनेवा में आयोजित पक्षकारों के 18वें सम्मेलन के दौरान, भारत की ओर से किए गए हस्तक्षेप के आधार पर, उन भू-भागों में, जहां बाघों के संरक्षण की सुविधाएं हैं, कार्य-कलापों के संचालन हेतु निर्णय 14.69 के सुदृढ़ीकरण के रूप में अनेक निर्णयों को स्वीकार किया गया।

20. तृतीय एशिया मंत्रालयी सम्मेलन (3 एएमसी), नई दिल्ली में 12-14 अप्रैल, 2016 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन कि "बाघों का संरक्षण विकल्प नहीं है, अपितु यह एक अनिवार्यता है" से प्रेरित होकर वर्ष 2022 तक जंगलों में बाघों और उनके पर्यावासों का संरक्षण सुनिश्चित करने के ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए बाघ वाले देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि:

- वैश्विक बाघ बहाली कार्यक्रम (जीटीआरपी)/राष्ट्रीय बाघ बहाली कार्यक्रम (एनटीआरपी) और ऊपर उल्लिखित घोषणाओं से सहमत कार्रवाइयों के **कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे**, प्राथमिकता और विभेदीकरण वाली कार्ययोजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें अद्यतन करेंगे तथा पारस्परिक और सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के माध्यम से प्रगति पर नजर रखेंगे।

- बाघ संरक्षण के सरोकारों को मुख्य धारा में लाने के लिए विकास कार्यनीतियों के पुनर्भिविन्यास द्वारा पारस्परिक संपूरक रीति से **विकास और बाघ संरक्षण को साथ-साथ लेकर चलेंगे**, जैसे कि भूदृश्य स्तर पर अवसंरचना में बाघ और वन्यजीव सुरक्षोपाय एकीकरण, व्यापारी समूहों के साथ सहभागिता विकसित करना तथा स्थानीय हितधारकों के साथ मजबूत अनुबंध।
- टीआरसी सरकारों के अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, संघों, सिविल सोसाइटी संगठनों, निजी क्षेत्र और जलवायु निधियों से **निधियन और तकनीकी सहायता का इस्तेमाल** करेंगे।
- बाघ पर्यावासों को **पारिप्रणाली सेवाएं प्रदान करने, आर्थिक विकास तथा जलवायु परिवर्तन का निराकरण करने में सहायता प्रदान करने वाले इंजन के रूप में** प्रचार करने के द्वारा इनके महत्व को मान्यता देंगे और इनका संवर्धन करेंगे।
- बाघों को पुन: छोड़े जाने तथा उनके पर्यावासों और शिकार को पुनर्वासित करने संबंधी सफल कार्यक्रमों का उपयोग करते हुए **कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघों की संख्या की पुनर्बहाली** करेंगे तथा ऐसे क्षेत्रों का पुनरुद्भव करेंगे, जहां पर ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं।
- वन्यजीव अपराध को कम करने, बाघ उत्पादों की मांग का निराकरण करने तथा औपचारिक और अनौपचारिक सीमापारीय समन्वय में वृद्धि करने हेतु **सरकार के उच्चतम स्तरों पर सहयोग को सुदृढ़** करेंगे।

- प्रबंधन प्रभाविता में सुधार करने के लिए **सभी हितधारकों के लिए ज्ञान साझा करने तथा क्षमता विकास में संवर्धन करेंगे** और स्मार्ट उपकरणों, निगरानी प्रोटोकॉल्स और सूचना प्रणालियों सहित **प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाएंगे।**

<u>अन्य विविध उपाय</u>

21. **विशेष बाघ संरक्षण बल (एसटीपीएफ) का गठन :** 90% केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित काजीरंगा (असम) की वर्तमान बाघ परियोजना की वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 13 प्रारंभिक रूप से चयनित बाघ रिजर्वों में 60% केन्द्रीय सहायता से कर्नाटक (बांदीपुर), महाराष्ट्र (पेंच, तदोबा-अंधारी, नवेगांव-नागजीरा, मेलघाट), राजस्थान (रणथम्भौर) और ओडिशा (सिमिलीपाल) राज्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) कार्यरत किए गए हैं।
22. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से **ऑनलाइन टाइगर मॉर्टेलिटी डाटाबेस** शुरू किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जो व्यापक बाघ संरक्षण योजना में शिकार-रोधी रणनीतियों के लिए आधार तैयार करते हैं।
23. बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाघ बहुल राज्यों के साथ निधि प्रवाह से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) का कार्यान्वयन करना।
24. प्रभावी क्षेत्रीय गश्त और मॉनीटरिंग हेतु 'मानीटरिंग सिस्टम फार टाइगर्स' इन्टेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलोजिकल स्टेट्स (M-STrIPES) शुरू करने के अलावा, अवसरंचना के आधुनिकीकरण और क्षेत्र सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। एम-स्ट्राइप्स एपलिकेशन को तीन भिन्न माड्युल नामश: गश्त, पारिस्थितिकी और संघर्ष के साथ एंड्रायड आधारित बनाया गया है।
25. प्रोत्साहन देने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता बढ़ाकर फील्ड डिलीवरी में सुधार के लिए पहल की गई ।
26. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं; के पुननिर्माण के सक्रिय प्रबंधन के भाग के रुप में उनमें नए बाघों और बाघिनों को लाने का कार्य किया गया है। पन्ना में वन्य बाघों को सफलतापूर्वक लाया जाना एक अद्वितीय और विश्व में अपने प्रकार का पहला कार्य है । लाई गई बाघिनें प्रजनन कर रही हैं।
27. **अखिल भारतीय बाघ, सह-परभक्षी और शिकार आकलन, 2018 :-** राष्ट्र स्तरीय बाघ स्थिति आकलन का चौथा चरण, वर्ष 2018 में पूरा हुआ जिसके निष्कर्षों में बाघों की संख्या में वृद्धि का संकेत करते हुए उनकी अनुमानित सं. 2967 (निम्नतर और उच्चतर सीमाएं क्रमश: 2603 और 3346) है। जबकि वर्ष 2014 के पिछले राष्ट्र स्तरीय अनुमान के अनुसार इनकी अनुमानित संख्या 2226 (निम्नतर और उच्चतर सीमा क्रमश: 1945 और 2491 बाघ) थी, वर्ष 2010 के अनुमान के अनुसार इनकी संख्या अनुमानत: 1706 (निम्नतर और उच्चतर सीमाएं क्रमश: 1507-1896) थी और वर्ष 2006 के अनुमान के अनुसार इनकी संख्या अनुमानत: 1411 (निम्नतर और उच्चतर सीमा क्रमश: 1165 और 1657) थी। इस समय, बाघ परियोजना (18 राज्यों के 50 बाघ रिजर्वों में फैले देश के भौगोलिक क्षेत्र के 2.21% में) के माध्यम से प्रजातियों के संरक्षण का अपना लंबा इतिहास होने के कारण, विश्व के 13 बाघ क्षेत्र वाले देशों में से बाघों की संख्या और उनके स्रोत क्षेत्रों का लगभग 75% भारत के पास है।

28. **प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एमईई) :** जुलाई, 2019 में बाघ रिजर्वों के प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एमईई) संबंधी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 50 बाघ रिजर्वों के लिए 2018 में संशोधित किए गए मानदंडों पर आधारित स्वतंत्र मूल्यांकन का चौथा चरण शामिल था। 50 बाघ रिजर्वों में से 21 को 'बहुत अच्छा', 17 को 'अच्छा' और 12 को 'साधारण' रेटिंग दी गई थी।
29. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ संघर्ष को कम करने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना।

मानक प्रचालन क्रिया-विधि (एसओपी)

30. बाघ परियोजना/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की परामर्शिकाओं के आधार पर बाघों की मौतों से संबंधित 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है जिसमें वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्य के अधिकारियों और विशेषज्ञों से प्राप्त वर्तमान चुनौतियों से निपटने में अनुकूल सूचनाएं दी गई हैं।
31. मानव-बस्तियों में आवारा बाघों से निपटने के लिए 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।
32. बाघ/तेंदुए के शवों/शरीर के अंगों के निपटान हेतु, 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।
33. जंगल में अनाथ/परित्यक्त बाघ शावकों और बूढ़े/जख्मी बाघों के कल्याण हेतु मानक प्रचालन क्रियाविधि जारी की गई है।
34. पशुधन पर बाघ हमलों से निपटने के लिए एक 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।
35. एनटीसीए द्वारा साझा सीमा वाले बाघ रिजर्वों के बीच अंतरराज्यीय समन्वय हेतु 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।
36. लैंडस्केप स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के सक्रिय प्रबंधन हेतु एक 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।
37. चरण-IV बाघ रिजर्व स्तर शुरू करना, कैमरा ट्रैप्स का प्रयोग कर बाघों की निरंतर माँनीटरिंग करना और अलग- अलग बाघों के फोटों कैप्चर संबंधी आंकड़े तैयार करना।

38. अलग-अलग बाघ की कैमरा ट्रैप फोटो आईडी की राष्ट्रीय रिपोजिटरी के सृजन का आरम्भ।

39. आवारा बाघों से निपटने के लिए क्षेत्र अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

40. कार्बेट बाघ रिजर्व (उत्तराखंड) में पायलट ई-निगरानी परियोजना पूरी होने पर काजीरंगा टाइगर रिजर्व (असम) में और रातापानी वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) के आस-पास 24x7 ई-निगरानी संस्थापित करने हेतु (100%) केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

41. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के सहयोग से **छह बाघ आरक्षित क्षेत्रों का आर्थिक मूल्यांकन** किया गया है जिसका उद्देश्य उनके द्वारा प्रदत्त पारिस्थितिकीय सेवाओं के मूल्य और जलवायु परिवर्तन उपशमन में उनकी भूमिका का आकलन करना है।

42. भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से पन्ना बाघ रिजर्व (मध्य प्रदेश) में मानव-रहित हवाई वाहन द्वारा निगरानी का प्रायोगिक परीक्षण किया गया और अब अन्य 13 बाघ-रिजर्वों में भी इसे विस्तारित करने की योजना है। फ्रंटलाइन स्टाफ का क्षमता निर्माण कर लिया गया है और उपकरणों का पहला सेट पन्ना बाघ रिजर्व को सौंपा गया है।

43. भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से शिवालिक गांगेय मैदानी भू-परिदृश्यों के बाघ रिजर्वों में और उनके आस-पास की स्थिति, सघनता एवं वनावरण में परिवर्तन का आकलन किया गया।

44. सुंदरवन में बाघ स्थिति के आकलन पर बांग्लादेश की संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

45. बाघ रिजर्वों में ऑन-लाइन बाघ/वन्यजीव अपराध ट्रैकिंग/रिपोर्टिंग सिस्टम की दिशा में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के साथ सहयोग की पहल की गई।

46. सभी बाघ रिजर्वों में एनटीसीए के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित सुरक्षा लेखापरीक्षा कार्यढांचे को मान्य किया गया है। इस कार्यढांचे के माध्यम से 25 बाघ रिजर्वों का उनके सुरक्षा प्रोटोकॉलों के संबंध में आकलन किया गया है।

47. बाघ रिजर्वों के बाहर बाघ बहुल क्षेत्रों की स्थिति के आकलन हेतु सीए/टीएस (सुनिश्चित संरक्षण/बाघ मानक) कार्यढांचे का प्रयोग किया जा रहा है जिससे ऐसे क्षेत्रों में प्रबंधन हस्तक्षेपों में कमियों का पता लगाने में सहायता मिलती है ताकि उपयुक्त रणनीतियों के माध्यम से कमियों का निराकरण किया जा सके। सीए/टीएस प्रमाणन प्राप्त 4 वैश्विक स्थलों में से 2 स्थल भारत में हैं, नामश: उत्तराखंड में रामनगर और लैंसडाउन वन प्रभाग।

48. नेपाल, भूटान और बांगलादेश के साथ उप-महाद्वीप स्तरीय बाघ आकलन रिपोर्ट तैयार करने की पहल की गई है।

49. अधिक ऊंचाई वाले भू-दृश्यों में बाघों की उपस्थिति का आकलन करने के लिए वैश्विक बाघ फोरम के साथ एक सहयोगपूर्ण परियोजना शुरू की गई है।

****